

कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना, एवं जिला अग्निशमन अधिकारी
राजनांदगांव, (छ.ग.)

क्रमांक-27 / फायर सर्विस / 2019

राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2019

--: अग्नि सुरक्षा प्रमाण - पत्र ::--

प्रमाणित किया जाता है, कि जे.एम.जे. नवजीवन स्कूल कौरिनभाठा राजनांदगांव शैक्षणिक संस्था परिसर का इस विभाग के वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी द्वारा सिस्टर पुष्पा, की उपस्थिति में दिनांक-24-06-2019 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के आधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वार व्यावधान रहित चालू हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है, तो इस प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जायेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉकड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
4. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक 27.06.2019

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

जिला सेनानी
एवं अग्निशमन अधिकारी
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)